फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

शांति देवी बनाम बद्री वगैरह

मुकदमा नंबर 81 / 2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
02.04.2025	प्रार्थीया के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ.टी.एक्ट के तहत पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया के अधिवक्ता को सूना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया के तर्कों पर मनन किया प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के हक में होना प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 152 रकबा 1.0875 हैक्टेयर वाके ग्राम सायपुरा पटवार हल्का सायपुरा तहसील जमवारामगढ़ में स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 25.04.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना नहीं करने पर जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी समझी जावेगी। अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजि० डाक से करवाई जावें। पत्रावली वास्ते तलवी हेतु दिनांक 25.04.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक .... पेश हो 1/5/25	
1/5/25	पत्रावली में प्रार्थी द्वारा मय वकील विड्रॉ प्रा. पत्र बाबत दावा विड्रॉ करने हेतु पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। विड्रॉ प्रा. पत्र पर इकबाल की जाकर मूल वाद को विड्रॉ किया जाता है। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	नि. शांति Identify [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवा
शांति देवी बनाम बाकी पक्ष
प्र० सं० - 01/2025

का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया
से संबंधित भूखण्ड की बिक्री करने
पर अब इस न्यायालय प्र.प्र. को
आगे चलाने का कोई औचित्य
नहीं है अतः इस न्यायालय प्र.प्र.
को इसी स्तर पर समाप्त किया
जाता है, पत्रावली [illegible]
होकर [illegible] से कम है तथा
बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर